तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रतिवादी सरकार उपस्थित। अतः वादी का प्रार्थना-पत्र साबित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ता० [illegible] किया जाता है। पत्रावली में मन शुमार होकर नियमानुसार की कार्यवाही बाद तकमील जिला दाखिल अभिलेख भण्डार हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 12 / 2023

वउनवान

1. रामलाल पुत्र चिरंजी जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थित

श्री सतीशचन्द शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक 14.07.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 217 रकवा 0.34 हे. ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जे काशत खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र चिरंजी ना होकर रामलाल पुत्र चिरंजी है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड पैनकार्ड जनआधार तथा अन्य पहचान के दस्तावेजात में रामलाल ही दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर लालाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थी उक्त आराजी पर अपना नाम लालाराम के स्थान पर रामलाल दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

बावत लालाराम के स्थान पर रामलाल दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में लालाराम पुत्र चिरंजी के स्थान पर रामलाल पुत्र चिरंजी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलव किया गया। दिनाक 13.07.2023 को अप्रार्थी ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में रामलाल नाम दर्ज है। यदि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज कर दिया जावे तो इससे राज्यहित प्रभावित नहीं होता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन आधार की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बलराम पुत्र चिरंजीलाल व नेमीराम पुत्र नेमराम पुत्र लल्लूराम के शपथ पत्र पेश किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम लालाराम न होकर रामलाल है जिसकी ताइद प्रार्थी द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड पत्रादि से होती है। ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित नहीं होता है। गवाह बलराम जो प्रार्थी का भाई है तथा गवाह नेमीराम ने भी प्रार्थी का नाम लालाराम न होकर रामलाल होना कथन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम उक्त आराजी से प्रार्थी का गलत नाम लालाराम के स्थान पर रामलाल दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पैरोकार सरकार की वहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी का नाम लालाराम न होकर रामलाल है। पहचान के दस्तावेजात में रामलाल पुत्र चिरंजीलाल अंकित है। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि से प्रार्थी का नाम लालाराम न होकर रामलाल पुत्र चिरंजीलाल होना सावित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सावित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जाकर आराजी खसरा नम्बर 217 रकवा 0.34 हे. वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर पर प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र चिरजीलाल के स्थान पर रामलाल पुत्र चिरंजीलाल जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील कठूमर दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज०

अतः यह आदेश आज दिनांक 14/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज०